अनुसूची

मुरगांव पत्तन न्यास (स्टीविडोर्स की लाइसेंसिंग) विनियम, 2010

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 123 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुरगांव पत्तन का न्यासी मंडल एतद्द्वारा मौजूदा मुरगांव पत्तन न्यास (स्टीविडोर्स की लाइसेंसिंग) विनियम, 1987 का अधिक्रमण करते हुए तथा कथित विनियम की धारा 124 के तहत यथा अपेक्षित प्रकाशित होने की शर्त पर, केन्द्र सरकार के अनुमोदन के अधीन मुरगांव पत्तन न्यासी (स्टीविडोर्स की लाइसेंसिंग) विनियम, 2010 बनाता है:

1. संक्षिप्त नाम :

(i) इन विनियमों को "मुरगांव पत्तन न्यास (स्टीविडोर्स की लाइसेंसिंग) विनियम, 2010" कहा जाए।

(ii) ये विनियम महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 124 (1) के अधीन सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषा :–

इन विनियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:–

(i) "अधिनियम" का महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 है ।

(ii) "मंडल" का अर्थ अधिनियम के अंतर्गत गठित मुरगांव पत्तन का न्यासी मंडल है ।

(iii) "अध्यक्ष" का अर्थ मंडल का अध्यक्ष है ।

(iv) "यातायात प्रबंधक" का अर्थ है पत्तन न्यास मंडल का यातायात प्रबंधक तथा यातायात विभाग का प्रमुख ।

(v) "फार्म" का अर्थ है विनियमों के साथ संलग्न फार्म ।

(vi) "स्टीविडोर" पत्तनों में जहाजों पर किसी भी फार्म में नौभार के भारण व अभारण तथा स्टोवेज हेतु प्राधिकृत एजेंट है ।

3.परिधिः

इन विनियमों में निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल होंगे ।

(i) पत्तन द्वारा किए जानेवाले स्टीविडोरिंग कार्य ।

(ii) लाइसेंस्ड स्टीविडोरों द्वारा किए जानेवाले स्टीविडोरिंग कार्य ।

(iii) लाइसेंस करार में यथा निर्धारित बीओटी टर्मिनल ऑपरेटरों के स्टीविडोरिंग कार्य ।

स्टीविडोरिंग के अंतर्गत कर्मचारियों सहित जहाज के फलके पर किए जानेवाले कार्य तथा नौभार निर्यात (भारण) के लिए हुक लगाने तथा कर्मचारियों सहित जहाज के फलके पर किए जानेवाले कार्य नौभार आयात (अभारण) के लिए हुक खोलने अथवा पत्तनों में जो भी व्यवस्था विद्यमान हो, भी शामिल है ।

4. स्टीविडोरिंग प्रभारः–

स्टीविडोरिंग सेवाओं के लिए प्रधानों से स्टीविडोर प्रभार वसूले जाते है जिसमें पत्तन को दिए जानेवाले प्रभार भी शामिल है । ये प्रभार प्रधानों से स्टीविडोर्स द्वारा वसूल किए जाते हैं जो पार्टियों तथा बाजार की शक्तियों पर निर्भर होता है ।

5. **स्टीविडोर्स/स्टीविडोरिंग के लिए लाइसेंसः–**

स्टीविडोरिंग लाइसेंस अध्यक्ष द्वारा जारी किए जाएंगे, यदि फार्म निम्नलिखित मानदडों को पूरा करते होः–

i) वह कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक कंपनी या एक पार्टनरशिप फर्म हो या उसका कोई अन्य विधिक अस्तित्व हो ।

ii) वह कम से कम पांच लाख रूपए राशि प्रतिभूति जमा करेगा ।

iii) स्टीविडोर्स अपने या किराए के न्यूनतम उपकरण/गियरों की व्यवस्था करने का वचन देंगे ।

iv) स्टीविडोर्स कम से कम 4 पर्यवेक्षकीय कार्मिकों को नियोजित करने का वचन देंगे, जिन्हे नौभार सम्हलाई/स्टोवेज में न्यूनतम दो वर्षे का अनुभव हो । आवेदन के साथ अपना विवरण संलग्न करना होगा ।

v) लइसेंस जारी करने/नवीकृत करने हेतु शुल्क लाइसेंस अवधि के लिए न्यूनतम ₹ 5000/– है मंडल द्वारा समय–समय पर संशोधित किया जाएगा ।

6. **नाम, संगठन आदि में परिवर्तन के बारे में सूचित किया जाना :–**

i) कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई भी कंपनी या एक पार्टनरशिप फर्म या कोई अन्य जिसका विधिक अस्तित्व हो, जिनके पास स्टीविडोरिंग लइसेंस है, वे अपने निदेशक या पार्टनर, जैसी भी स्थिति हो, में कोई भी परिवर्तन होने पर उसके समर्थन में दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत करते हुए अध्यक्ष को तत्काल उसकी सूचना देंगे ।

ii) स्टीविडोरिंग लइसेंसधारी फर्म या कंपनी के नाम, संक्षिप्त नाम या गठन में कोई भी परिवर्तन होने पर अध्यक्ष को तुरन्त सूचित करना होगा । फर्म या कंपनी जहां पर ऐसे परिवर्तन हो, वे नए लाइसेंस की मंजूरी के लिए नया आवेदन प्रस्तुत करेंगे । उपबंधित है कि अध्यक्ष अपने विवेक से कथित नए आवेदनों पर निर्णय होने तक ऐसे फर्म या कंपनी को व्यवहार जारी रखने की अनुमति दे सकते है ।

ऐसे मामलों में जारी किए जानेवाले नए लाइसेंसों के लिए वहीं प्रभार देय होंगे जो पहले लाइसेंस को जारी करने हेतु देय है ।

7. **लाइसेंस की वैधता/नवीकरण**

i) यह लाइसेंस जारी होने की तारीख से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा ।

ii) पत्तन द्वारा यथानिर्धारित न्यूनतम गारंटिड उत्पादन/निर्धारित निष्पादन मापदंडों की प्राप्ति के आधार पर ही लाइसेंस नवीकृत किया जाएगा ।

iii) स्टीविडोरिंग लाइसेंस की मंजूरी/नवीकरण के लिए फार्म 'क' में यातायात प्रबंधक को आवेदन करना होगा (नमूना फार्म –'क' संलग्न)

iv) इन विनियमों के अंतर्गत मंजूर या नवीकृत प्रत्येक लाइसेंस फार्म 'ख' में होगा (नमूना फार्म –'ख' संलग्न)

v) स्टीविडोरिंग लाइसेंस के नवीकरण के लिए लाइसेंस की समाप्ति से कम से कम तीन माह पूर्व आवेदन करना होगा । यदि नवीकरण हेतु आवेदन 3 माह की निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त नही होता है तो ऐसे आवेदन ₹ 1000/– का भुगतान करने पर यातायात प्रबंधक द्वारा स्वीकार किए जा सकते है, बशर्ते कि नवीकरण हेतु आवेदन विलंब शुल्क सहित, लाइसेंस समाप्ति की वास्तविक तारीख से पूर्व यातायात प्रबंधक को प्राप्त होते है ।

vi) मूल लइसेंस गुम होने पर या खराब होने पर यातायात प्रबंधक को आवेदन कर ₹ 2000/– का भुगतान करने पर लाइसेंस की दूसरी प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

vii) नवीकृत लाइसेंस जारी करने से पूर्व, सुरक्षा निष्पादन तथा गोदी सुरक्षा संविधि के अनुपालन की रिपोर्ट गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य व कल्याण) अधिनियम, 1986 के तहत घोषित "निरीक्षक" से प्राप्त करनी होगी, जिस पर लाइसेंस का नवीकरण करते समय विचार किया जाएगा । यदि स्टीविडोर आवश्यक शर्तों को पूरा करता है और नवीकरण के लिए पात्र है परन्तु लाइसेंस अवधि की समाप्ति पूर्व सुरक्षा निर्बाधता की प्रत्याशा में है, तो पत्तन एक क्षतिपूर्ति बंधपत्र निष्पादित करते हुए स्टीविडोरिंग प्रचालन की अनुमति दे सकता है ।

8. स्टीविडोर के कर्तव्य तथा जिम्मेदारियां

अध्यक्ष द्वारा जारी स्टीविडोरिंग लाइसेंस की अवधि के दौरान स्टीविडोरों को अपने स्टीविडोरिंग लाइसेंसिंग नियमों के अनुसार सुरक्षित तथा कार्यक्षम सम्हलाई सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित कर्तव्यों व जिम्मेदारियों की पूर्ति करनी होगी ।

i) स्टीविडोर सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी प्रचालन गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण) अधिनियम, 1986 तथा गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य व कल्याण) विनियम, 1990 द्वारा तथा के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के सभी प्रकार से अनुसरण में है ।

ii) स्टीविडोर इन प्रचालनों संबंधी सभी स्वीकृत संरक्षित पध्दतियों का अनुपालन करेगा ।

iii) खराब गियर के इस्तेमाल के कारण हुई किसी दुर्घटना या क्षति के लिए स्टीविडोर अकेला उत्तरदायी होगा ।

iv) स्टीविडोर ऐसे प्रचालनों से उत्पन्न तीसरे पक्ष के सभी दावों के लिए मंडल को क्षतिपूर्ति करेगा ।

v) किसी भी दुर्घटना के मामले में स्टीविडोर कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अनुसार दावे का निपटान करने के लिए जिम्मेदार होगा ।

vi) जब भी नैमित्तिक कामगारों को नियोजित किया जाता है तो स्टीविडोर सुनिश्चित करेगा कि ऐसे कामगारों को बीमा नीति के तहत शामिल किया गया है ।

vii) यदि ऐसे प्रचालनों के दौरान स्टीविडोर द्वारा मंडल के किसी भी गियर, संयंत्र या किसी अन्य सम्पत्ति को हानि पहुंचायी जाती है तो स्टीविडोर ऐसी हानि या क्षति के लिए मंडल को क्षतिपूर्ति करेगा।

viii) स्टीविडोर पत्तन/सीएचएलडी को अग्रिम में निर्धारित प्रभारों का भुगतान करेगा ।

ix) स्टीविडोर प्रति जहाज पर्याप्त पर्यवेक्षकीय कार्मिकों को तैनात कर सकता है ।

x) स्टीविडोर सुनिश्चित करेगा कि मंडल को देय सर्व राशि नियत तारीख को अदा की जाती है अन्यथा लाइसेंस रद्द किया जाएगा।

xi) स्टीविडोर यातायात प्रबंधक द्वारा सुरक्षा, उन्नत उत्पादकता व श्रम अनुशासन की दृष्टि
से समय– समय पर जारी ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करेगा ।

9. **<u>लाईसेंस को रद्द/स्थगित करनाः</u>–**

क) अध्यक्ष, लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर या नीचे सूचित किसी भी कारणों की वजह से किसी भी समय, स्टीविडोर को जारी लाइसेंस को स्थगित या रद्द कर सकता है यदि,

i) स्टीविडोरिंग फर्म के सीईओ को नैतिक अघमता के लिए अपराध न्यायालय द्वारा सिध्द दोष हुआ हो और उस मामले में छः माह से कम की सजा न हो और सजा खत्म होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि समाप्त न हुई हो ।

ii) फर्म, पत्तन द्वारा यथा निर्धारित न्यूनतम गाारंटिड उत्पादन/निर्धारित मापदंडों से कम
सम्हलाई करता है ।

iii) सुरक्षा विनियमों तथा अधिदेशात्मक गोदी सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करता है ।

iv) अनुचित तथा अनुरक्षित सम्हलाई पध्दतियों का अनुपालन करता है ।

v) वास्तविक तथ्यों को अयथार्थ रूप से प्रस्तुत करना या अनुचित रूप से बताना ।

vi) दिवालिया सिध्द हुआ है अथवा परिसमापन होनेवाला है ।

vii)पत्तन में किसी भी कार्य में रूकावट पैदा करता है ।

viii) किसी अन्य व्यक्ति या पार्टियों को स्टीविडोरिंग प्रचालन हस्तांतरित करता है या
लाइसेंस सबलेट करता है ।

ix) सुरक्षा संबंधी नियम व विनियम जैसे कि आईएसपीएस संहिता अनुपालन आदि का
उल्लंघन करना उचित हो ।

x) ऐसा कोई भी कदाचार जिसके लिए मुडल के विचार से लाइससेंस रद्द या स्थगित करता हो ।

xi) अवैध तथा भ्रष्ट व्यवहार करता हो ।

ख) उपबन्धित है कि ऐसा कोई भी लाइसेंस रद्द या स्थागित नहीं किया जाएगा जब तक कि लाइसेंसधारी को यह कारण बताने का पर्याप्त अवसर न दिया जाएगा कि क्यों न उनके लाइसेंस को रद्द या स्थगित, जैसी भी स्थिति हो, किया जाए ।

ग) आगे यह भी उपबंधित है कि उपर्युक्त खण्ड (क) के सूचीबध्द किसी भी उल्लंघन के लिए अथवा अन्य प्रकार से लाइसेंस जारी करने हेतु स्थगन/निरसन/इन्कार सूचित करते हुए लिखित आदेश, स्टीविडोर के लिए जारी आरंभिक सूचना की तारीख से 30 दिनों को अवधि के भीतर, यथाचित रूप से लागू किया जाएगा ।

10. **अपील**

(i) इन विनियमों के तहत लाइसेंस को रद्द/स्थगित/जारी करने से इन्कार करने संबंधी किसी आदेश से यदि कोई व्यक्ति ग्रसित होता है तो उस आदेश, जिसके विरूध्द अपील की जा रही है, की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर केन्द्र सरकार या किसी अन्य उपर्युक्त उच्च प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, को लिखित में अपील कर सकता है ।

(ii) केन्द्र सरकार या ऐसा कोई भी प्राधिकारी जैसे भी स्थिति हो, अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद, जैसा उचित समझे, अपील पर ऐसा आदेश पारित कर सकता है ।

11. **पत्तन/सीएचएलडी/लाइसेंसधारी या बाहर से कामगारों की तैनाती**

यदि स्टीविडोर्स की आवश्यकतानुसार पत्तन, पत्तन अपेक्षित कामगारों की आपूर्ति नहीं कर सकता है तो पत्तन इस प्रयोजन के लिए स्टीविडोर्स को अपनी व्यवस्था करने की अनुमति दे सकता है ।

12. **उत्पादन आदि के लिए आधार–सामग्री, मानदंड**

पिछले 3 वर्षों के दौरान निष्पादन मापदंडों को ध्यान में रखते हुए पत्तन समय–समय पर उत्पादकता हेतु आधार – सामग्री, मानदंड, प्रोत्साहन दर, आदि निर्धारित कर सकता है ।

13. **प्रशिक्षण, आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल**

स्टीविडोरिंग कार्यकलापों में तैनात कार्मिकों को उत्पादकता, कार्यक्षमता तथा सुरक्षा को सुधारने की दृष्टि से विशेषतया भारतीय मरीटाईम अकादमी से नौभार सम्हलाई की आधुनिक पध्दतियों में प्रशिक्षित किया जाएगा ।

14. **विविध**

इन विनियमों के तहत स्टीविडोरिंग लाइसेंस की मंजूरी/नवीकरण के लिए आवश्यक फार्म समय–समय पर अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किए अनुसार होंगे ।

15. **निर्वचन**

यदि इन विनियमों के निर्वचन के संबंध में या किसी भी मामले में जो यहां ऊपर उल्लिखित न हो या बाद में उपबन्धित किया हो, के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो मंडल द्वारा उस पर निर्णय दिया जाएगा ।

16. **निरसन और व्यावृत्ति**

मुरगांव पत्तन न्यास (स्टीविडोर्स की लाइसेंसि) विनियम, 1987, प्रक्रिया, पध्दतियां तथा रीतियों तथा इन विनियमों के लागू होने से तत्काल पहले प्रवृत्त इन विनियमों के समरूप का निरसन किया जाता है ।

यह भी उपबन्धित है कि इन विनियमों, प्रक्रियाओं, पध्दतियों तथा रीतियों के तहत बनाए आदेशों अथवा पर की गई कार्रवाई जिनका निरसन हुआ है का तात्पर्य इन विनियमों के तत्संबंधी प्रावधानों के तहत बनाए गए या की गई माना जाए।

फार्म "क"

मुरगांव पत्तन न्यास
यातायात विभाग

सेवा में,
यातायात प्रबंधक,
मुरगांव पत्तन न्यास.

स्टीविडोरिंग लाइसेंस की मंजूरी/नवीकरण हेतु आवेदन

1. आवेदक का नाम :

2. क्या व्यक्ति, फर्म या कंपनी है (पार्टनरशिप/कंपनी का अनुच्छेद प्रस्तुत किया जाए :

3. पूर्ण पता:

4. वर्ष जिसके लिए लाइसेंस अपेक्षित है :

5. उस स्टिमशिप कंपनी/चार्टर ऑफ शिप/माल के मालिक का/ के नाम, जिनके साथ उनके जलयानसें/माल के स्टीविडोर से संबंधित कार्य के लिए संविदा जारी है या करने का प्रस्ताव है (समाविष्ट अवधि के लिए संविदा का प्रमाण संलग्न किया जाए/प्रत्येक पार्टी के लिए लगभग टनेज सूचित किया जाए):

6. इस क्षेत्र में पूर्व अनुभव, यदि कोई (पिछले तीन वर्षों में स्टीविडोर किए गए कार्गो व टनेज के ब्यौरे प्रस्तुत करें):

7. कामगार प्रतिपूर्ति अधिनियम आदि के अंतर्गत वेतनों, प्रतिपूर्ति के कारण दायित्वों को पूरा करने के लिए वित्तीय योग्यता की राशि (बैंकरों से वित्तीय योग्यता का प्रमाणपत्र तथा आयकर निपटान प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें :

8. क्या संविदा किए गए जलयान/माल के संबंध से स्टीविडोर संबंधी कार्य को करने के लिए आवेदक ने पर्याप्त गियरों का अधिग्रहण कर लिया है/करने के लिए सहमत है ?

9. क्या आवेदक के पास नियमों व विनियमों का अनुभव रखने वाले तथा से परिचित पर्याप्त कर्मचारी है/नियोजित करना चाहता है । (कर्मचारी व उनके कार्य अनुभव की सूची प्रस्तुत की जाए)।

10. क्या आवेदक ने मुरगांव पत्तन न्यास सीएचएलडी के साथ किए सम्व्यवहारों संबंधी सभी राशि, यदि कोई का निपटान किया है ?

11. क्या लाइसेंस शुल्क तथा प्रतिभूमि जमा अदा किया गया है ? (भुगतान की रसीद संलग्न की जानी हैं) यदि लाइसेंस जारी/नवीकृत नहीं किया जाता है तो लाइसेंस शुल्क तथा जमा राशि वापस की जाएगी ।

12. क्या आवेदक ने वेतन आदेश/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में पांच लाख रूपए जमा किए है ?

मैं सुनिश्चित करता हूँ कि प्रस्तुत जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है ।

लाइसेंस की मंजूरी हेतु अनुरोध पर विचार करने हेतु निरीक्षण के लिए यथा अपेक्षित अन्य कोई जानकारी/रिकोर्ड प्रस्तुत करने के लिए सहमति देता हूँ ।

यदि मुझे लाइसेंस जारी/नवीकृत किया जाता है तो मैं मुरगांव पत्तन न्यास (स्टीविडोर्स की लाइसेंसिंग) विनियम, 2010 तथा अध्यक्ष द्वारा समय– समय पर जारी अन्य किसी शर्तों का अनुपालन करने की सहमति देता हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान

दिनांक

लाइसेंस की मंजूरी/नवीकरण पूर्णतया अध्यक्ष के निर्णयानुसार होगी ।

फार्म "ख"

मुरगांव पत्तन न्यास
यातायात विभाग

संदर्भ सं.:
दिनांकः

मुरगांव पत्तन न्यास ने स्टीविडोरिंग प्रचालन कार्य करने हेतु लाइसेंस

1. लाइसेंसधारी का नाम :

2. पता :

3. मंजूर लाइसेंस की अवधिः

4. परिशिष्ट * के रूप में संलग्न शर्तों के अधीन लाइसेंस जारी किया जाता है ।

लाइसेंसदाता प्राधिकारी के हस्ताक्षर

अध्यक्ष, मुरगांव पत्तन न्यास

*मुख्यतया मुरगांव पत्तन न्यास (स्टीविडोरिंग की लाइसेंसिंग) विनियम, 2010 के आधार पर शर्तें निर्धारित की जाएंगी ।

SCHEDULE

Mormugao Port Trust (Licencing of Stevedores) Regulations, 2010

In exercise of the powers conferred under Section 123 of the Major Port Trusts Act, 1963 (Act 38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Mormugao hereby frames Mormugao Port Trust (Licencing of Stevedores) Regulations, 2010 subject to the approval of the Central Government, in supersession of the existing Mormugao Port Trust (Licencing of Stevedores) Regulations, 1987 and subject to publication as required under Section 124 of the said Act:-

SHORT TITLE:

1. (i) These Regulations may be called "The Mormugao Port Trust (Licencing of Stevedores) Regulations, 2010".
(ii) These Regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette under Section 124(1) of the Major Port Trusts Act.

2. DEFINITIONS:
In these Regulations, unless the context otherwise requires:-
(i) "Act" means the Major Port Trusts Act, 1963.
(ii) "Board" means the Board of Trustees of the Port of Mormugao as constituted under the Act.
(iii) "Chairman" means Chairman of the Board.
(iv) "Traffic Manager" means the Traffic Manager of the Port Trust Board and Head of the Traffic Department.
(v) "Form" means form annexed to these Regulations.
(vi) "Stevedore" is an authorized agent for loading and unloading and stowage of cargo in any form on board the vessels in Ports.

3. SCOPE:
These Regulations shall cover the following activities:
(i) Stevedoring undertaken by the Port
(ii) Stevedoring by the licenced stevedore
(iii) Stevedoring by the BOT terminal operator as prescribed in the licence agreement.

The Stevedoring may cover the activities on board involving workmen and extending to hooking for export (loading) cargo and unhooking of import (unloading) cargo involving workmen on-board or whatever practice prevalent in ports.

4. **STEVEDORING CHARGES**

The stevedoring charges are levied by the stevedores from the principals for the stevedoring services which include the charges payable to the Port. Charges to be collected by stevedores on the principals and should be left to the parties and the market forces.

5. **LICENCE FOR STEVEDORES/STEVEDORING**

Stevedoring licences shall be issued by the Chairman, in case the firm fulfils the following criteria:-

(i) It shall be a Company registered under Companies Act or a partnership firm or any other legal entity.

(ii) It shall deposit security of at least ₹ 5 lakhs.

(iii) The Stevedores shall undertake to provide minimum equipment/gear either owned or hired.

(iv) The Stevedores should undertake to employ at least 4 Supervisory personnel with minimum two years of cargo handling/stowage experience. Their profile has to be enclosed along with the application.

(v) The fee for issue/renewal of licence shall be a minimum of ₹ 50000/- for the period of the licence which may be revised by the Board from time to time.

6. **CHANGE IN NAME , CONSTITUTION, ETC TO BE COMMUNICATED:**

(i) Any Company registered under the Companies Act or a Partnership firm or any other legal entity holding a stevedoring license shall immediately communicate to the Chairman about any change of the Director, Managing Director or partner as the case may be, with a copy of the document in support of such change.

(ii) Any change in the name, title or constitution of a firm or company holding a stevedoring licence shall be communicated to the Chairman forthwith. The firm or company undergoing such a change shall submit a fresh application for the grant of a licence, provided that the Chairman may at his discretion allow such a firm or company to carry on business till such time a decision is taken on such fresh application. The fresh licence required to be issued in such cases will however attract the same charges as are payable for the issue of a new licence.

7. **VALIDITY/RENEWAL OF LICENCE**

(i) The licence will be valid for a period of three financial years from the date of issuance of licence.

(ii) The licence will be strictly renewed on the basis of achieving minimum guaranteed throughput/prescribed performance parameters as fixed by the Port.

(iii) The application for grant/renewal of Stevedoring licence shall be made in Form “A” to the Traffic Manager (Specimen Form A-annexed).

(iv) Every Licence granted or renewed under these regulations shall be in Form B (Specimen Form B-annexed).

(v) The application for renewal of stevedoring licence shall be made at least 3 months before the expiry of the licence. If the application for renewal is not received within the stipulated period of 3 months, such applications may be accepted on payment of ₹ 1000/- by the Traffic Manager, provided that the application for renewal together with the late fee is received by the Traffic Manager before the actual date of expiry of the licence.

(vi) In the event of loss or defacing of the original licence, a duplicate licence may be obtained on an application made to the Traffic Manager on payment of ₹ 2000/-.

(vii) Before issue of renewal of licences, a report regarding the safety performance and compliance of Dock Safety Statutes shall be obtained from the ‘Inspector’ declared under the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Act, 1986 which shall be taken into consideration while granting the renewal of the licence. If the Stevedore fulfills the required conditions and is eligible for renewal but awaiting safety clearance before expiry of the licence period, port may permit the stevedoring operation by executing an indemnity bond.

8. DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF A STEVEDORE:

During the currency of a stevedoring licence issued by the Chairman, the following duties and responsibilities and performance parameters of stevedores to ensure the safe and efficient handling as per their Stevedoring Licencing Rules, shall be fulfilled by the stevedores:

(i) The Stevedore shall ensure that all such operations conform in all respects to the requirements prescribed by or under the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Act, 1986 and the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Regulations, 1990.

(ii) The Stevedore shall comply with all accepted safe practices in relation to such operations.

(iii) The Stevedore shall be solely responsible for any accident or damage resulting from the use of defective gear.

(iv) The Stevedore shall indemnify the Board against all third party claims arising out of such operations.

(v) In the event of any accident, the stevedore is liable to settle the claim as per the Workmen's Compensation Act.

(vi) Whenever casual workers are deployed, the stevedore should ensure that such workers are covered by the insurance policy.

(vii) If any gear, plant or any other property of the Board is damaged by the stevedore in the course of any such operations, the stevedore shall compensate the Board for such loss or damage.

(viii) The stevedore shall pay scheduled charges to Port/CHLD in advance.

(ix) The stevedore may deploy adequate supervisory personnel per vessel.

(x) The Stevedore shall ensure that all the amount due to the Board is paid on the appointed dates, failing which the licence is liable to be cancelled.

(xi) The Stevedore shall comply with such instructions as may be issued from time to time by the Traffic Manager in the interest of safety; improved productivity and labour discipline.

9. <u>CANCELLATION/SUSPENSION OF LICENCE:</u>

a) The Chairman may at any time suspend or cancel the licence issued to a Stevedore for violation of any of the terms of licence or for any reasons listed below when:

(i) The CEO of the stevedoring firm has been convicted by the Court of any offence involving moral turpitude and sentenced in respect thereof to imprisonment for not less than six months, and a period of five years has not elapsed from the date of expiry of the sentence.

(ii) The firm handles less than the minimum guaranteed throughput/the prescribed parameters as fixed by the Port.

(iii) Violates safety regulations and mandatory Dock Safety measures.

(iv) Adopts improper and unsafe handling methods.

(v) Misrepresents or misstates of material facts.

(vi) Adjudged insolvent or going into liquidation.

(vii) Causing obstruction to any work in the port.

(viii) Transfers the stevedoring operations or sublets the licence to any other individual or parties.

(ix) Violates security related rules and instructions like ISPS code compliance etc.

(x) Any misconduct which in the opinion of the Board warrant such cancellation or suspension.

(xi) Indulges in illegal/corrupt practices.

(b) Provided that no such licence shall be cancelled or suspended as the case may be until the holder of the licence has been given a reasonable opportunity for showing cause why his licence should not be cancelled or suspended as the case may be.

(c) Provided further that, the written order communicating the suspension/cancellation/refusal to issue licences for any of the violation listed in clause (a) above or otherwise, shall be made reasonably within a period of 30 days from the date of original intimation/notice issued to a stevedore.

10. **APPEAL**

(i) Any person aggrieved by any order relating to cancellation /suspension /refusal to issue licences, under these Regulations, may prefer an appeal in writing to the Central Government, or any other appropriate higher authority as the case may be within 30 days of the communication of the order appealed against.

(ii) The Central Government or any such authority as the case may be shall pass such order on the appeal as it deems fit after giving an opportunity of being heard to the appellant.

11.DEPLOYMENT OF WORKERS FROM PORT/CHLD/LICENCE HOLDER OR OUTSIDER

In case the Port is unable to supply the requisite workers against the requisition placed by Stevedores, the Port may allow the stevedores to make their own arrangement for this purpose.

12. **DATUM, NORMS FOR PRODUCTIVITY Etc.**

Datum , Norms for productivity, rate of incentive etc. may be determined by the Port from time to time duly taking cognizance of the performance parameters during last 3 years.

13. **TRAINING, USE OF MODERN TECHNOLOGY**

The personnel deployed in stevedoring activities shall be trained in modern methods of cargo handling for improving the productivity, efficiency and safety, preferably from Indian Maritime University.

14. **<u>MISCELLANEOUS</u>**

The forms required for grant/renewal of stevedoring licence under these regulations shall be such as may be prescribed by Chairman from time to time.

15. **<u>INTERPRETATION</u>**

If any question arises as to the interpretation of these Regulations or in respect of any matter not hereinabove or subsequently provided for, the same shall be decided by the Board.

16. **<u>REPEAL AND SAVINGS</u>**

The Mormugao Port Trust (Licencing of Stevedores) Regulations, 1987 procedures, practices, and customs corresponding to these Regulations and in force immediately before the commencement of these regulations are hereby repealed.

Provided that any order made or action taken under the regulations, procedure, practices, and customs so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these regulations.

--------x--------

FORM –A

MORMUGAO PORT TRUST
TRAFFIC DEPARTMENT

To,
The Traffic Manager,
Mormugao Port Trust.

APPLICATION FORM FOR THE GRANT/RENEWAL OF STEVEDORING LICENCE

1)Name of the applicant :

2) Whether individual, firm or company (Article of partnership/company to be produced) :

3) Full Address :

4) Year/s for which licence is required :

5) Name/s of the Steamship Company/ Charteror of ship/owner of cargo, with whom the contract for stevedoring their vessel/ cargo subsists or is proposed to be entered (Proof of contract for the period covered is to be appended. The approximate tonnage for each party is to be indicated.) :

6) Previous experience in the field, if any (The cargo and tonnage stevedored in the previous 3 years to be furnished) :

7) Amount of financial ability to meet the obligations on account of wages compensation under Workmen's Compensation Act etc. (A certificate from the bankers as to the financial ability and Income Tax Clearance Certificate to be produced) :

8) Whether the applicant has/is willing to acquire gear for stevedoring the contracted vessel/ cargo ? (List of gear with necessary certificate to be furnished) :

9) Whether the applicant has/ is willing to have in his employment adequate staff with experience and conversant with Rules and Regulations
(A list of the staff and their experience to be furnished) :

10) Whether the applicant has cleared all the amounts, if any, on account of transactions he had with the Mormugao Port Trust/ CHLD ? :

11) Whether the licence fee and the security deposit has been paid ?
(The receipt for the payment is to be attached. The licence fee and the deposit will be refunded if licence is not issued/ renewed). :

12) Whether the applicant has deposited a sum of ₹ 5 lakhs in the form of Pay order/ Demand Draft ? :

I affirm that the particulars given are true to the best of my knowledge.

I agree to furnish any other information/ produce any record for inspection as may be required to consider the request for grant of licence.

I agree to abide by the Mormugao Port Trust (Licencing of Stevedores) Regulations, 2010 and to comply with any other conditions made by the Chairman from time to time, if the licence is issued/renewed.

Place: Signature of Applicant

Date:

N.B. The grant/ renewal of Licence will be entirely at the discretion of the Chairman.

FORM- B

MORMUGAO PORT TRUST

TRAFFIC DEPARTMENT

Ref.No. Dt.

LICENCE FOR UNDERTAKING STEVEDORING OPERATIONS AT THE MORMUGAO PORT TRUST.

---

1. **Name of the Licencee :**

2. **Address:**

3. **Period for which the licence is granted:**

4. **This licence is issued subject to the Conditions Appended as Annexure***

Signature of Licensing Authority

Chairman, Mormugao Port Trust

***The** conditions will be drawn mainly based on the Mormugao Port Trust (Licencing of Stevedores) Regulations, 2010.